रेफरेन्स / एल.आर. / 5818 / 2002 / जोधपुर
सरकार बनाम गुलाबनाथ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री खुर्शीद अनवर, उप राजकीय अभि0 प्रार्थी
श्री वी.एस.राठौड, श्री अशोक अग्रवाल, श्री जी.एस.लखावत,
श्री सुरेन्द्र सेठी, अभि0 अप्रार्थी

दिनांक : 24.2.2023

निर्णय

यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82के अन्तर्गत जिला कलक्टर जोधपुर के रेफरेन्स प्रकरण सं.10 / 95 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 5–8–2002 के संदर्भ में पेश किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम कांकाणी स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 902 रकबा 6.18 बीघा, 888 रकबा 16.10 बीघा, 889 रकबा 9.13 बीघा कुल 33.01 बीघा भूमि मिसल बन्दोबस्त अनुसार मंगला पुत्र भीका जाति भांबी निवासी कांकाणी की खातेदारी में थी। यह खाता अनुसूचित जाति के व्यक्ति का होने से इस कृषि भूमि का हस्तान्तरण सवर्ण जाति के व्यक्ति को करने योग्य नहीं था। धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत उक्त भूमि में से खसरा नंबर 902 रकबा 6.18 बीघा भूमि जरिये अपंजीकृत बेचान के अप्रार्थी सं.1 गुलाबनाथ को विक्रय कर दी गई जो सवर्ण जाति का था तथा इसका नामान्तरकरण संख्या 103 ग्राम कांकाणी ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। अप्रार्थी गुलाबनाथ के देहान्त के बाद इसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 718 ग्राम कांकाणी स्वीकृत किया गया। यद्यपि बेचान खसरा नंबर 902 के संबंध में ही था फिर भी उपरोक्त तीनों खसरान की 33.01बीघा भूमि का अमल दरामद गुलाबनाथ के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उत्तराधिकारियों के पक्ष में कर दिया गया। अतिरिक्त तहसीलदार लुणी द्वारा दिनांक 1–9–95 को आदेश जारी कर शुद्धी करने का आदेश दिया जो नियम 166 लेण्ड रिकोर्ड रूल के विपरीत है। नायब तहसीलदार को राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का अधिकार नहीं है। किन्तु इस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 735 स्वीकृत किया गया जिसमें मंगलाराम के सभी उत्तराधिकारियों को सम्मिलित नहीं किया गया। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 103, 718 व 735 ग्राम कांकाणी निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह राठौड ने बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी का खातेदार मंगला भांबी था जो अनुसूचित जाति का है। आराजी खसरा नंबर 903 रकबा 6.18 बीघा भूमि जरिये अपंजीकृत बेचान से अप्रार्थी गुलाबनाथ को विक्रय कर दी गई जिसका नामान्तरकरण संख्या 103 स्वीकृत किया गया। गुलाबनाथ की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 718 खोला गया, जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2008 (2) DNJ (Raj.) 1021, 2013 (1) RRT 690, 2013 (1) RRT 426, 2013 (1) RRT 67, 2000 (1) WLN 200 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये। विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल ने बहस में कथन किया कि पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा विक्रय किया गया है। धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। क्रेता, विक्रेता को भूमि से बेदखल नहीं कर सकता है। यह भूमि राज्य में वेस्ट हो गई है। इसलिए यह रेफरेन्स संधारण योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता श्री जी.एस.लखावत ने बहस में कथन किया कि रेफरेन्स मियाद बाहर है। विक्रय दिनांक 5–11–1961 का है, 1961 के बाद धारा 42 के उल्लंघन के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रावधान प्रभावी हुए हैं। इसलिए पश्चातवर्ती कानून को भूतलक्षी नहीं माना जा सकता है। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। खतौनी बंदोबस्त के अनुसार आराजी खसरा नंबर 902 रकबा 6.18, 888 रकबा 16.10 बीघा, 889 रकबा 9.13बीघा कुल 33.01 बीघा भूमि मंगला वल्द भीका की खातेदारी में दर्ज है, जो अनुसूचित जाति का है। उक्त आराजी में से खसरा नंबर 902 रकबा 6.18 बीघा भूमि का विक्रय अप्रार्थी गुलाबनाथ को कर दिया गया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 103 स्वीकृत किया गया। गुलाबनाथ के देहान्त के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 718 उपरोक्त तीनों खसरा नंबर की 33.01 बीघा भूमि का स्वीकृत कर दिया गया। अतिरिक्त तहसीलदार लुणी द्वारा दिनांक 1–9–95 को शुद्धी करने का आदेश जारी किया गया, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 735 स्वीकृत किया गया। हस्तगत प्रकरण में अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आराजी का विक्रय किया गया है, जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में जो नामान्तरकरण संख्या 103, 718 व 735 स्वीकृत किये गये हैं, वे विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 103, 718 व 735 ग्राम कांकाणी निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	